भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछ्वाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष:0151-2250960 एवं 0151-2253123

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के वैज्ञानिक गृह/किसान गृह में रख–रखाव व दिन प्रतिदिन के कार्यों (झाडू और सफाई को छोड़कर) हेतु आउटसोसिंग के लिये वार्षिक अनुबंध से सम्बधित कार्य को सीमित अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु स्कील्ड 01 श्रमिक एवं अनस्कील्ड 02 श्रमिक उपलब्ध करवाने के कम में संस्थान कार्यालय में दिनांक 15.11.2022 से 27.11.2022 शाम 5.00 बजे तक सीमित निविदा आमंत्रित की जायेगी एंव दिनांक 28.11.2022 को दोपहर 2.30 बजे सीमिति निविदा खोली जायेगी। इच्छुक निविदाकर्ता के पास जीएसटी नम्बर व आधार नम्बर होना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान की वैब साईट ciah.icar.gov.in पर उपलब्ध है।

-sd-
प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006
Phone
Director 0151-2250147
AO/AAO 0151-2253123
EPABX 0151-2250960
Fax 0151-2250145
Email

पत्रावली क्र.:07(ii)09/CS/SH/2019-20/ दिनांक: 14.11.2022.

सीमित अनुबंध प्रपत्र

सेवा में

श्रीमान निदेशक,
भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान,
बीछवाल, बीकानेर 334006

क.सं.	संस्थान के वैज्ञानिक गृह / किसान गृह में रखरखाव और अन्य दिन-प्रतिदिन की सेवाओं (झाडू और सफाई को छोड़कर) की आउटसोर्सिंग के लिए वार्षिक अनुबंध से संबंधित कार्य को सीमित अनुबन्ध के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु **Skilled 01** श्रमिक एवम् Unskilled 02 श्रमिक उपलब्ध करवाने के क्रम में सीमित अनुबंध हेतु सर्विस चार्ज **(excluding GST)** व अन्य कर सहित ।		
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(IV)**
			For 30 days
1	Skilled labour -Minimum wages as prescribed by Govt. of India/ICAR, New Delhi w-e-f- 1.10.2022. (Labour rate will be increased Or decreased as per Govt. of India notification)	**495.00**	**495x30=14850.00**
2	EPF 13% (@Rs.15000/- being the maximum limit on part of employer vide EPFO notification No. actuarial /18/2008 Vol.III/7738 dated 29.08.2014	**13%**	**Rs. 1930.50**
3	ESI	**3.25%**	**Rs. 482.63**
4	Unskilled labour -Minimum wages as prescribed by Govt. of India/ICAR, New Delhi w-e-f- 1.10.2022. (Labour rate will be increased Or decreased as per Govt. of India notification)	**414.00**	**414x30x2=24840.00**
5	EPF 13% (@Rs.15000/- being the maximum limit on part of employer vide EPFO notification No. actuarial /18/2008 Vol.III/7738 dated 29.08.2014	**13%**	**Rs. 3229.20**
6	ESI	**3.25%**	**Rs.807.30**
7	Sub Total Rs. (1 to 6)		**46139.63 say Rs. 46140.00**
8	Service charges in Ruppes		

9	GST (If applicable) in Ruppes		
10	Total service charges + GST on Service charges (Sum of 8+9)		

GENERLA INFORMATION & OTHER TERMS & CONDITIONS OF ANNUAL LIMITED CONTRACT FOR OUTSOURCING OF MAINTANACE UPKEEP AND OTHER DAY TO DAY SERVICES/WORKS (EXCEPT SWEEPING AND CLEANING) AND RELLATED SERVICES IN THE SCIENTIST HOME/FARMERS GUEST HOUSE AT ICAR-CIAH, BIKANER.

JOB DETAIL

ANNUAL LIMITED CONTRACT FOR OUTSOURCING OF MAINTENANCE, UPKEEP AND OTHER DAY TO DAY SERVICES/WORKS (EXCEPT SWEEPING AND CLEANING) RELATED SERVICES IN THE SCIENTIST HOME/ FARMERS GUEST HOUSE AT ICAR-CIAH, BIKANER.

Attending of routine day to day maintenance, upkeep the Scientist Home/Farmers Guest house related jobs:-

1 . संस्थान में सरकारी कार्य या अन्य कार्य से आने वाले अतिथियों को वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने और जलपान, भोजन की व्यवस्था करना । चाय, नाश्ता, दोपहर तथा रात्रि का भोजन इत्यादि उच्च गुणवता का होना चाहिए।

2 . वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में स्थापित सभी स्थाई एवं अस्थाई सामान की सूची के अनुसार एजेंसी को उपभोग हेतु दिया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर सूची के अनुरुप ही ठेकेदार को प्रभारी गेस्ट हाउस को सूपुर्द करना होगा।

3 वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में उपभोग हेतु कम्बल, चद्दर, तकिया, तकिया कवर व तौलिया संस्थान स्तर पर करायें जायेंगे, जिनकी सूची बनाकर एजेंसी को सुपुर्द किया जायेगा, जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर उसी सूची के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रभारी गेस्ट हाउस को वापस सौपना होगा।

4. भोजन बनाने व उसको परोसने हेतु बर्तन उपलब्ध कराया जाना जो कि एजेंसी को गिनकर उचित गुणवत्त में दिये जायेंगे तथा अनुबंध पूर्ण होने पर उसी गुणवत्ता एवं संख्या के साथ एजेंसी को वापस सौपना होगा। बर्तमों के गुम होने पर अथवा टूटफूट की संप-ूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी, जिसके लिए बर्तनों की एवज में उचित राशि ठेकेदार के बिल अथवा जमानती राशि में से काटी जायेगी जिसका निर्णय संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। बिल जमानती राशि के कम होने पर शेष राशि की एजेंसी द्वारा भरपायी की जानी होगी एवं इस हेतु विधिक कार्यवाही के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा, जिसको मानने के लिए एजेंसी बाध्य होगी । गैस इत्यादि की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

5. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के लॉन एवं गमलों की आवश्यकता अनुसार देख भाल करना।-

6 . ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के लिये दिन रात कार्य की सर्विस उपलब्ध करवायी जायेगी Total points Manpower (03) कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमे कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौल या अंतर्वलित है तथा किसी कुशल तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गदर्शन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

7 . वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के अन्दर सभी सामान की साफकी व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। [पोचे के अलावा-झाड़ू] सफाई-

8 . वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के रिकार्ड को प्रभारी गेस्ट हाउस के दिशाअतिथियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना और-राशि को कार्यालय में समय से जमा कराना। वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में ठहरने वाले आगंतुकों से सम्बंधित समस्त विवरण रखने की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।

9 . प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा बताये गये अन्य रखही एजेन्सी को गेस्ट हाउस के चद्दरों व तकिये कवर की रखाव कार्य करना होगा। साथ-निर्देश के अनुसार करवानी होगी। लेकिन उसका बिल-समय पर कंबलों की ड्राईक्लीन प्रभारी के दिशा-धुलाई आवश्यकतानुसार व समय प्रभारी गेस्ट हाउस द्वारा सत्यापित करने पर भुगतान होगा।

10. संस्थान परिसर में समयर होने वाले समारोहसमय प-, आयोजन बैठ्कों प्रशिक्षण में बाहर से विशिष्ठ व्यक्तियोंअधिकारियों के आगमन / पर चाय, पानी नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

11. वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में रुकने वाले अतिथियों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की दरें प्रभारी गेस्ट हाउस सक्षम अधिकारी की सहमति से निर्धारित होगी जिसकी ठेकेदार को पालना करनी होगी।/

वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह के कार्य हेतु नियम एवं शर्तें -:

1. कार्य की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक की होगी लेकिन प्रथम आदेश तीन माह के लिए ही जारी किया जावेगा| इस अवधि में कार्य संतोषजनक रहने एवं बिल दस्तावेज **[EPF & ESI Challan, GST challan]** निर्धारित समय प्रस्तुत करने पर ही आगे बढ़ाया जावेगा, परंतु अनुबंध की समय सीमा बढाने या घटाने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

2 वैज्ञानिक गृह व किसान अतिथि गृह में प्रयोग होनेवाले आवश्यक सभी सामान जैसे पलंग, गद्दे, चद्दरें, तकिये, फ्रिज, कूलर, गीजर, इनवर्टर, गैस सिलेंडर, चूल्हा एवं खाना बनाने में कार्य में आने वाले बर्तन इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जावेंगे लेकिन इनके सही ढंग से रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। खाली गेस सिलेण्डर भरवाने की - जिम्मेदारी ठेकेदारकी होगी व उसका भुगतान भी उसे ही वहन करना होगा।